संख्या-1/2017/27/71-आयुष-1-2017-32/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन|

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी, 2017**

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के परिसर में अवस्थित धनवन्तरि छात्रावास के जीर्ण-शीर्ण भवन के ध्वस्तीकरण के उपरान्त नवीन छात्रावास के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 एवं आपके पत्र संख्या- 198/291/2012-2014/योजना, दिनांक-07 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकितसालय, लखनऊ के परिसर में अवस्थित धनवन्तरि छात्रावास के जीर्ण-शीर्ण भवन के ध्वस्तीकरण के उपरान्त नवीन छात्रावास के भवन निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1026.99 लाख (रूपये दस करोड़ छब्बीस लाख निन्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहतद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1418.20 लाख के सापेक्ष रू0 410.7960 लाख (रूपये चार करोड दस लाख उन्यासी हजार छः सौ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण किया जाय।
(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
(3) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(4) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा फर्नीचर एवं पार्किंग के लिए कवर शेड हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जायेंगी। चूंकि ये प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
(7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(8) कार्य की गुणवत्ता एवं मानक की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(13) विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 एवं लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन) के साथ ही समय-समय पर इस हेतु निर्गत आदेशों तथा ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) संलग्न तालिका के कालम-4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार पुराने, निष्प्रयोज्य व जर्जर भवन के पुस्तांकित मूल्य में स्क्रैप मूल्य के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित कर ध्वस्तीकरण की लागत को जोडते हुए तालिका के कालम-5 में अंकित धनराशि को बट्टे खाते में डाला जायेगा।

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-06/दस-2017, दिनांक-03/01/2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त्।

भवदीया

डा0 अनिता भटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2017/27(1)/71-आयुष-1-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ/जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दुबे
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1/2017/27/71-आयुष-1-2017-32/2016, दिनांक- 04/01/2017 का

संलग्नक

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में छात्रावास के निर्माण हेतु चयनित कार्य स्थल पर ध्वस्तीकरण/निष्प्रयोज्य भवन एवं बट्टे खाते में डाले जाने वाली धनराशि का विवरण-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	परियोजना के निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवन	ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित भवन का विवरण (रू0 लाख में)	बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में छात्रावास का निर्माण	धनवन्तरि छात्रावास	पुस्तांकित मूल्य - 154.62 स्क्रैप मूल्य - 15.47 ध्वस्तीकरण की लागत- 4.54	143.69
				योग – 143.69
				(रू0 एक करोड तैतालिस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

टिप्पणी- भवनों के ध्वस्तीकरण से प्राप्त मलबे की नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

ऋषिकेश दुबे
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।